

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां

:: मूल वाद मे अंतिम डिक्री ::

[आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0]

पीठासीन अधिकारी - श्री राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 283/2016 राजस्व वादपत्र

अनवान

1. मनीष पिता सत्यनारायण खाती नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती उषा पत्नि सत्यनारायण खाती निवासी राजपुरा तह. फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2. मीनाक्षी पुत्री सत्यनारायण खाती नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती उषा पत्नि सत्यनारायण खाती निवासी राजपुरा तह. फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पिता रामस्वरूप खाती उम्र वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीनवाड़ा।
3. उप पंजीयक फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
4. मुकेश पिता रामस्वरूप खाती उम्र वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
5. राजेन्द्र पिता रामस्वरूप खाती उम्र वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
6. सुशीला पुत्री रामस्वरूप खाती उम्र वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
7. बरदीचन्द उर्फ बृद्धिचन्द पिता छोदूलाल खाती उम्र वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फुलियाकलां, जिला भीलवाड़ा
10. सीता बैवा स्व. रामस्वरूप खाती उम्र वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
11. ऐजन बैवा स्व. रामस्वरूप खाती उम्र वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री दिनेश चन्द्र व्यास —वादीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

अनुपस्थित:- प्रतिवादीगण समस्त

दिनांक- 17.11.2021

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 मंजूर किया किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवाद संख्या 01 इस प्रकार की जाती है कि ग्राम राजपुरा पटवार हल्का क्षेत्र हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां स्थित विपक्षी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 161, 166/997 किता 2 रकबा 0.51 हैक्टर, आराजी संख्या 644 रकबा 1.15 हैक्टर, आराजी संख्या 162 रकबा 0.04 हैक्टर, आराजी संख्या 33, 34, 295, 296, 333, 345, 346, 361, 426, 427 किता 10 रकबा 2.87 हैक्टर, आराजी संख्या 428 रकबा 0.01 हैक्टर, आराजी संख्या 157, 158, 159, 160 किता 4 रकबा 1.27 हैक्टर, एवं ग्राम हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां स्थित आराजी संख्या 752, 753, 754, 755, 756/2054 किता 5 रकबा 2.67 हैक्ट. भूमि पर प्रतिवादी सं 01, 02, 03 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस प्रकार पाबन्द किया जाता है कि वे सहखातेदार सत्यनारायण पिता रामस्वरूप खाती तक के हक, स्वामित्व की आराजीयात का बैचान, अंतरण, रहन, बक्शीस, आदि न करें एवं उक्त भू भाग में से वादीगण के हक हिस्से तक के भू-भाग पर किसी भी प्रकार की नाजायज दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावें। खर्चा फरिक्तेन अपना-अपना वहन करे। यह डिक्री आज दिनांक 17.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम हुकमपुरा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां एवं
जिला भीलवाड़ा अधिकारी
फुलिया कलां (भोब.)

प्रतिलिपि:- डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को प्रेषित हो।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
सहबिला क्लर्क एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भोब.)